UPKU100083592025

न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

पीठासीन अधिकारी–(मिताली सोनकर)– उ०प्र० न्यायिक सेवा– UP3722

एफ०आर०वाद नं०–547/2025

सरकार/विद्यासागर सिंह बनाम सुकुरूल्लाह आदि,

मु०अप०सं०– 352/2024
अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120B भा०दं०सं०,
थाना– सेवरही,
जिला–कुशीनगर।

12.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि थाना– सेवरही, जनपद–कुशीनगर द्वारा मु०अप०सं०–352/2024, अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120B भा०दं०सं० के मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। जिस पर वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया। वादी मुकदमा पर बजातखास नोटिस तामिल होकर पत्रावली में वापस प्राप्त है। वादी मुकदमा को नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वादी मुकदमा उपस्थित नहीं आया और न ही उसकी ओर से अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट इस कथन के साथ प्रेषित है कि अब तक की विवेचना, प्रार्थना पत्र वादी, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन दस्तावेजी साक्ष्य से प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार के अपराध कारित करने का कोई साक्ष्य नहीं पाया जा रहा है। अतः साक्ष्य के अभाव में विवेचना जरिये अंतिम रिपोर्ट समाप्त की जाती है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु०अप०सं०–352/2024, अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120B भा०दं०सं०, थाना– सेवरही, जिला–कुशीनगर के मामले में विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मिताली सोनकर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।
J.O. Code:–UP3722

Digitally signed by MITALI SONKAR
Date: 2026.03.12 16:40:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court